रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19122022-241225
CG-DL-E-19122022-241225

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 792] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 19, 2022/अग्रहायण 28, 1944
No. 792] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 19, 2022/AGRAHAYANA 28, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2022

सा.का.नि. 888(अ).—मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथाअपेक्षित केन्द्रीय मोटर यान नियम,1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारुप, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 659 (अ), तारीख 25 अगस्त, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और, उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को 25 अगस्त, 2022 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारुप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 109 और धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (पच्चीसवाँ संशोधन) नियम, 2022 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 में, नियम 124 में, उपनियम (4) की सारणी में, क्रम संख्यांक 22 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

1	2	3	4
"23.	विद्युत शक्ति गाड़ी यानों के लिए कर्षण बैटरी	अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1365(अ) तारीख 13.12.2004 की सारणी का क्र. सं. 26 और 49, सारणी क का क्र.स. 18 और 32 और सारणी ख का क्र. सं. 4 और 6	31 मार्च, 2023" ।

[सं. आर टी-11036/60/2022-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 885(अ), तारीख 16 दिसम्बर, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 2022

G.S.R. 888(E).—Whereas, the draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 659(E), dated the 25th August, 2022, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on the 25th August, 2022;

And whereas, objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 109 and section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (Twenty-fifth Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 124, in sub-rule (4), in the TABLE, after serial number 22 and the entries relating thereto, the following serial number entries shall be inserted, namely:-

1	2	3	4
"23.	Traction Battery for Electric Power train Vehicles	Sr. No's 26 and 49 of the Table, Sr. No's 18 and 32 of Table A and Sr. No's 4 and 6 of Table B of the notification number S.O. 1365 (E), dated 13-12-2004.	31st March, 2023".

[No. RT-11036/60/2022-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note . The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* notification number G.S.R. 885(E) dated the 16th December, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.12.19 22:14:23 +05'30'